अनुदान संख्या 15 – दूरसंचार विभाग
GRANT No. 15–DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1367,65,00		3943,28,00	3947,25,85	+3,97,85
पूरक	Supplementary	2575,63,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			1,00,00	. .	–1,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, हालांकि अगस्त, 2003 और फरवरी, 2004 में 257563.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था परन्तु व्यय स्वीकृत प्रावधान से 397.85 लाख रु. अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय 3,97,85,153 रु. था)। **इस अधिक व्यय को संसद से अनुदान की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित कराए जाने की आवश्यकता है।**

बचतें अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, although supplementary grant of Rs.257563.00 lakhs was obtained in August, 2003 and February, 2004, the expenditure exceeded the sanctioned provision by Rs.397.85 lakhs (actual excess was Rs.3,97,85,153). **The excess requires regularisation by Voting of Excess Demands for Grant by the Parliament.**

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष ''3451'' ÕãäiÞãÌããÊã¾ã - ,ãããi©ã‡ãŠ ÕãiÌãã†ã	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services					
मू.	O.	9269.00		10099.21	9591.44	–507.77
पु.	R.	830.21				
मुख्य शीर्ष ''2071'' पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and Other Retirement Benefits			101120.00	102650.11	+1530.11

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''3275'' अन्य संचार सेवाएं	Major Head "3275" Other Communication Services				
मू.	O.	26113.00			
पू.	S.	257563.00	282845.79	282221.80	–623.99
पु.	R.	–830.21			

(I) अधिक व्यय (2438.00 लाख रु.) मुख्य शीर्ष ''3275'' - ''अन्य व्यय - विश्व व्यापक सेवा दायित्व के अंतर्गत दूरसंचार सेवा प्रदायक को प्रतिपूर्ति'' के अंतर्गत पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के कारण हुआ, जैसा कि पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2437.83 लाख रु. था।

(I) The excess (Rs.2438.00 lakhs) occurred for augmenting the provision by re-appropriation under Major Head "3275" - "Other Expenditure - Compensation to Service Providers under Universal Service Obligation" as reported to Parliament while obtaining supplementary grant. Actual excess, however, was Rs.2437.83 lakhs.

(II) अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत भी हुआ:-

(II) Excess also occurred under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सामान्य प्रशासन - दूरसंचार विभाग - टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र''- 900.04 लाख रु. का अधिक व्यय (3866.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नियत तथा मोबाइल नेटवर्क के व्यापक समाधान के लिए प्रचालन सहायता प्रणाली हेतु नए उपस्करों की अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुआ।

(A) Under Major Head "3451" - "General Administration - Department of Tele-communication - Centre for Development of Telematics" - excess of Rs.900.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3866.00 lakhs) was due to procurement of new equipments for operation support systems for converaged solution for fixed and mobile networks.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2071'' - ''सिविल'' के अंतर्गत -

(B) Under Major Head "2071" - "Civil"-

(क) ''पेंशन का संराशीकृत मूल्य''- 4434.61 लाख रु. का अधिक व्यय (16032.13 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत संचार निगम लिमिटेड में आमेलित कर्मचारियों को दिए गए औद्योगिक महंगाई भत्ते के वेतनमानों पर पेंशन के संराशीकृत मूल्य की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(a) "Commuted Value of Pensions" - excess of Rs.4434.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16032.13 lakhs) was due to payment of commuted value of pension on industrial dearness allowance pay scales to employees absorbed in Bharat Sanchar Nigam Limited.

(ख) ''उपदान''- 6014.52 लाख रु. का अधिक व्यय (19142.07 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत संचार निगम लिमिटेड में आमेलित

(b) "Gratuities" - excess of Rs.6014.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.19142.07 lakhs) was due to payment

कर्मचारियों को दिए गए औद्योगिक महंगाई भत्ते के वेतनमानों पर उपदान की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

of gratuity on industrial dearness allowance pay scales to the employees absorbed in Bharat Sanchar Nigam Limited.

(ग) ''परिवार पेंशन''- 1048.59 लाख रु. का अधिक व्यय (7334.70 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न अभिकरणों अर्थात् बैंकों और डाकघरों के माध्यम से अदायगियां किए जाने की वजह से प्रत्याशा से अधिक संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(c) "Family Pensions" - excess of Rs.1048.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7334.70 lakhs) was due to more receipt of claims than anticipated as the payments are made through different agencies viz. Banks and Post Offices.

(गा) मुख्य शीर्ष ''3275'' - ''अन्य व्यय - भारतीय टेलीफोन उद्योग, बंगलौर'' के अंतर्गत 200.00 लाख रु. का अधिक व्यय (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड की श्रीनगर इकाई में हुई हानि को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(C) Under Major Head "3275" - "Other Expenditure - Indian Telephone Industries, Bangalore" - excess of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to requirement of funds to meet losses suffered by Srinagar unit of Indian Telephone Industries Limited.

2. उपर्युक्त अधिक व्यय निम्नानुसार बचतों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया:-

2. The above excess was partly offset by savings as under:-

(I) 3.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''2071'' - ''सिविल - अनुकम्पा भत्ता'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.3.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2071" - "Civil - Compassionate Allowance".

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सामान्य प्रशासन - दूरसंचार विभाग - निदेशालय'' के अंतर्गत 470.27 लाख रु. की बचत (3446.40 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश मंत्रालय से दावों के प्राप्त न होने, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से विज्ञापन के संबंध में दावों का निपटान न किए जाने और भारत संचार निगम लिमिटेड से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "General Administration - Department of Telecommunication - Directorate" - saving of Rs.470.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3446.40 lakhs) was due to non-receipt of claims from Ministry of External Affairs, non-settlement of claims in respect of advertisement through Directorate of Advertisement and Visual Publicity and non-receipt of claims from Bharat Sanchar Nigam Limited.

(III) मुख्य शीर्ष ''2071'' - ''सिविल'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2071" - "Civil" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते''- 9040.31 लाख रु. की बचत (55348.30 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न अभिकरणों, अर्थात बैंकों और डाकघरों के माध्यम से अदायगियां किए जाने की वजह से प्रत्याशा से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Superannuation and Retirement Allowances" - saving of Rs.9040.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.55348.30 lakhs) was due to receipt of less claims than anticipated as the payments are made through different agencies viz. Banks and Post Offices.

(खा) "छुट्टी नकदीकरण हितलाभ''- 745.88 लाख रु. की बचत (3077.33 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत संचार निगम लिमिटेड में स्टाफ और अधिकारियों को आमेलित किए जाने के कारण हुई।

(B) "Leave Encashment Benefits" - saving of Rs.745.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3077.33 lakhs) was due to absorption of staff and officers in Bharat Sanchar Nigam Limited.

(गा) "अन्य पेंशनें''- 178.42 लाख रु. की बचत (182.47 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रत्याशा से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(C) "Other Pensions" - saving of Rs.178.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.182.47 lakhs) was due to receipt of less claims than anticipated.

(IV) मुख्य शीर्ष "3275'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(IV) Under Major Head "3275" - savings occurred under the following heads:-

(का) 'बेतार आयोजना और समन्वय''- 3808.48 लाख रु. की बचत (13346.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आरंभिक योजना की तुलना में मशीनरी के आयात में विलंब होने के कारण हुई।

(A) "Wireless Planning and Co-ordination" - saving of Rs.3808.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13346.00 lakhs) was due to delay in import of machinery compared to initial Plan.

(खा) 'बेतार निगरानी सेवाएं''- 213.69 लाख रु. की बचत (1030.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और तकनीकी स्कीमों को कार्यान्वित न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Wireless Monitoring Services" - saving of Rs.213.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1030.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-implementation of technical schemes.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत 132.56 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत और 25 प्रतिशत थीं।

(V) Under two heads savings of Rs.132.56 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 13 percent and 25 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, 100.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

3. In the capital section of the grant, provision of Rs.100.00 lakhs remained wholly unutilised under one head and was eventually surrendered.